UPBJ180028442023

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट नगीना जनपद बिजनौर।

दाण्डिक वाद सं0–**1708/2023**

सरकार **बनाम** प्रियांशु

धारा 4/25 आर्म्स एक्ट

थाना कोतवाली देहात, जिला बिजनौर।

मु.अ.सं. 108/2023

आरोप

मैं, **विपुल कुमार यादव** न्यायिक मजिस्ट्रेट नगीना, जिला बिजनौर आप **प्रियांशु** को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ :–

यह कि दिनांक 02–05–2023 समय 23:10 बजे वहद स्थान बिजनौर–नगीना रोड पर संगम पैलेस से आगे अन्तर्गत थाना क्षेत्र कोतवाली देहात जिला बिजनौर मे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा आपकी जामा तलाशी पर आपके कब्जे से एक नाजायज चाकू बरामद हुआ, जिसे रखने का आपसे लाईसेंस तलब किया गया तो आप चाकू रखने का लाईसेंस दिखाने में कासिर रहे। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान में है।

एतदद्वारा मैं आपको निर्देशित करता हूँ कि आपका विचारण उक्त अपराध में इस न्यायालय के समक्ष मेरे द्वारा किया जाये।

दिनांक: **04–04–2024**

(विपुल कुमार यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नगीना, जिला बिजनौर।

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उन्होंने इन्कार किया और न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रार्थना की ।

दिनांक: **04–04–2024**

(विपुल कुमार यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नगीना, जिला बिजनौर।